सहकारी विचार

सहकारी आंदोलन को समर्पित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित)

वर्ष 24 | अंक 19 | सांचौर, गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 |
RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 | UDYAM-RJ-19-0033346 | मूल्य वार्षिक 600 रुपये

मारवाड़ का मित्र

संस्थापक
स्मृतिशेष भगवानदास वैष्णव

Www.MarwadkaMitra.in
पृष्ठ @ 4

समय पर पुनर्भुगतान ही सहकारी बैंकों का वास्तविक संबल है; सिर्फ वादों और कागज़ी ज्ञापनों की फेहरिस्त से न तो बैंकों का घाटा कम होगा और न ही किसानों को उनका हक मिलेगा...।

सहकारी संस्थाओं के कार्मिक नहीं लड़ सकेंगे पंचायतीराज चुनाव

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के बीच, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर ग्रामीण इलाकों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनावों के इस दौर में सहकारिता आंदोलन की रीढ़ कहे जाने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों और प्रबंधकों की प्रशासनिक स्थिति और उनकी चुनावी पात्रता को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है। विधानसभा में प्रस्तुत आधिकारिक उत्तर के अनुसार, सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत इन संस्थाओं में सेवारत कार्मिकों को न तो राज्य कर्मचारी की श्रेणी में माना जाता है और न ही वे पंचायती राज या नगर निकाय के चुनावों में बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरने के पात्र हैं। सहकारिता विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन समितियों के प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों पर सेवा नियमों एवं वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रतिबंध लागू होते हैं, जिसके चलते वे सीधे तौर पर राजनीतिक समर में अपनी किस्मत नहीं आजमा सकते। इसके साथ ही, सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत इन कर्मियों को राज्य सेवा के दायरे में लाने से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस खुलासे के बाद चुनावी तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों और सहकारिता से जुड़े कार्मिकों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि ग्रामीण अंचल के विकास और स्थानीय निकायों के गठन में सहकारी तंत्र की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। चुनाव नजदीक आते ही इन व्यवस्थापकों की प्रशासनिक बाध्यताएं और सांगठनिक जिम्मेदारियां एक बार फिर से बहस के केंद्र में आ गई हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर चुनावी समीकरणों पर गहरा असर पड़ना तय माना जा रहा है। विधायक प्रशांत शर्मा द्वारा सदन में उठाए गए मामलों ने सहकारिता महकमे के भीतर चल रही प्रशासनिक चर्चाओं को सतह पर ला दिया है। प्रशासनिक दस्तावेजों के माध्यम से यह बात पुष्ट हो चुकी है कि सेवा नियमों की पेचीदगियों के कारण जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यवस्थापकों की कार्यशैली और अधिकारों का दायरा सीमित है। विभागीय उत्तर के आधार पर सामने आए इन तथ्यों ने उन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है, जिसमें सहकारी कर्मियों द्वारा राजनीतिक मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही थीं। इससे जुड़े वैधानिक प्रावधान अब पूरी तरह सार्वजनिक हो चुके हैं, जिससे मैदानी अमले को अपनी विधिक सीमाओं का भान हो गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवा नियमों के तहत व्यवस्थापकों पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लागू

चुनावों पर पड़ेगा व्यवस्थापकीय पाबंदियों का व्यापक प्रभाव

पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों के मद्देनजर गांवों की राजनीति में सहकारी तंत्र के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। यद्यपि संस्थाओं के व्यवस्थापक खुद चुनाव लड़ने की अर्हता नहीं रखते, किंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि ऋण वितरण में उनकी सक्रियता मतदाताओं के रुख को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखती है। राज्य के विभिन्न इलाकों में होने वाले इन चुनावों के दौरान सहकारिता से जुड़े कार्मिकों पर लागू अयोग्यता के कारण और निषेधाज्ञाएं स्थानीय चर्चाओं का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। प्रशासनिक स्पष्टता मिलने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों में इन विधिक पहलुओं को किस प्रकार समाहित करते हैं।

गलियारे से.....

केंद्रीय सहकारी बैंकों की डीपीसी जाँच में बड़ा खुलासा : अतिरिक्त रजिस्ट्रार शुद्धोधन उज्ज्वल को मिली क्लीन चिट

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर ।संभाग के केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCB) में कार्मिकों की पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। सहकारिता विभाग द्वारा कराई गई गहन जाँच में तत्कालीन अतिरिक्त रजिस्ट्रार शुद्धोधन उज्ज्वल को सभी आरोपों से क्लीन चिट दे दी गई है। आधिकारिक आदेशों के अनुसार, उनके कार्यकाल में आयोजित डीपीसी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, वैध और नियमानुसार पाई गई है। यह मामला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर तथा अन्य विधायकों द्वारा दिए गए शिकायती पत्र से शुरू हुआ था। शिकायतों के आधार पर प्रधान कार्यालय जयपुर के निर्देशों पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के तहत पाली, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर और जोधपुर के केंद्रीय सहकारी बैंकों में वर्ष 2022 से 2025 के दौरान हुई डीपीसी बैठकों की जाँच के आदेश दिए गए थे। बिलाड़ा के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के सचिव रामसुख को इस प्रकरण का जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जाँच अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट और दस्तावेजों के परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि सभी डीपीसी बैठकों की अध्यक्षता संबंधित जिलों के बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टरों द्वारा की गई थी। बैठकों में रोस्टर प्रणाली, रिक्त पदों के निर्धारण, कार्मिकों की योग्यता, अनुभव तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) का पूरी सख्ती और पारदर्शिता से पालन किया गया। समिति के अध्यक्षों (जिला कलेक्टरों) और प्रबंध निदेशकों की मौजूदगी में सामूहिक विचार-विमर्श के बाद ही पदोन्नति के निर्णय लिए गए थे। चूँकि अंतिम निर्णय कलेक्टरों की देखरेख में हुआ था, इसलिए प्रक्रिया में श्री शुद्धोधन उज्ज्वल की कोई संलिप्तता या अनियमितता प्रमाणित नहीं हुई। विभाग द्वारा जाँच बिंदु को बंद किए जाने से सहकारिता महकमे में लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।

हार्दिक बधाई

शुभकामनाएँ

श्री नगेन्द्र कुमार गुरॉंसा (अध्यक्ष) एवं श्री मधुसूदन शर्मा (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति उम्मेदाबाद को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2025-26 के दौरान कुल ₹250.28 लाख की जमा अमानतों के साथ जिले में तृतीय स्थान प्राप्त करने के साथ समिति ने कार्यक्षेत्र में सहकार से समृद्धि की भावना को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, ड्रोन उद्यमी केन्द्र, बी.बी.एस.एस.एल. बीज डिस्ट्रीब्यूटरशिप, पशु आहार ट्रेडिंग, वर्मी कम्पोस्ट ट्रेडिंग, कस्टम हायरिंग केन्द्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र और कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से हेल्थ, जनरल एवं वाहन बीमा सुविधा और लॉकर सुविधा जैसे अभूतपूर्व नवाचार करने पर जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
उम्मेदाबाद बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

सहकारिता विभाग और पीएलडीबी बैंक की दलीले खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट : 20 साल से काम कर रहे संविदाकर्मी को हटाकर नया कर्मी रखना गलत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने सहकारिता विभाग और बालोतरा को ऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए, लगभग दो दशकों से निरंतर सेवाएं दे रहे संविदा कर्मियों को हटाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इतने लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को केवल इसलिए सेवामुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभाग किसी अन्य प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नए संविदा कर्मियों को रखना चाहता है। न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की अदालत ने वादी राजू, दलपत दान, रमेश माली और रोशन दीन सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता पिछले लगभग दो दशकों से विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और वर्ष 2016 से अदालत के अंतरिम संरक्षण के तहत कार्यरत थे। जब विभाग ने उन्हें नई प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नए संविदा कर्मियों से विस्थापित करने का प्रयास किया, तब उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान विभाग के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं और विभाग के बीच सीधे तौर पर नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हुई थी; इसलिए अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर उन्हें बदला जा सकता है। हालांकि, अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी लंबी अवधि से निरंतर कार्य कर रहा है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है, वित्तीय फंड की कोई कमी नहीं है और उनका कार्य-प्रदर्शन संतोषजनक रहा है, तो उन्हें केवल अन्य संविदा कर्मियों से बदलने के उद्देश्य से नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनके पदों पर संविदा सेवा में यथावत रखा जाए। साथ ही, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में वे किसी दुराचार के दोषी पाए जाते हैं, उनका प्रदर्शन खराब रहता है, संबंधित कार्य समाप्त हो जाता है, फंड उपलब्ध नहीं रहता, अथवा विधिवत चयनित नियमित उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं, तो नियमानुसार उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

आमसभाओं में गरमाया मुद्दा: आखिर कब मिलेगा केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण माफी और ब्याज अनुदान का पैसा?

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर | प्रदेश के सहकारी सेक्टर में इन दिनों केंद्रीय सहकारी बैंकों की आयोजित हो रही वार्षिक साधारण सभाएं तीखी चर्चाओं का केंद्र बनी हुई हैं। एक दशक पहले लागू की गई ऋण माफी योजना की बकाया राशि आज प्रदेश के अधिकांश सीसीबी के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए नासूर बन चुकी है। हालात यह हैं कि कभी करोड़ों के मुनाफे में रहने वाले ये बैंक अब संचित हानियों के दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर लाभांश वितरण पर पड़ रहा है। प्रदेश में करीब एक दशक पहले तत्कालीन सरकारों द्वारा कृषि ऋण माफी की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत किसानों का कर्ज माफ तो कर दिया गया, लेकिन सहकारी सेक्टर की सहकारी बैंकों को उसका पुनर्भुगतान या ब्याज पेटे देय राशि समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी नहीं की गई। परिणामस्वरूप, जिला स्तरीय सहकारी संस्थाएं— यानी सीसीबी, जो कभी वित्तीय रूप से मजबूत हुआ करती थीं, आज इस बकाया राशि का अपने कोष से प्रावधान करने पर भारी-भरकम घाटे में दिखने लगीं। हाल ही में हो रही केंद्रीय सहकारी बैंकों की वार्षिक आमसभाओं में जब लाभांश वितरण पर चर्चा शुरू होती है, तो एजेंडे में ऋण माफी की बकाया राशि का प्रावधान करने पर संचित हानि का बड़ा सच सामने आ जाता है। आमसभाओं में सहकार नेतृत्व और अंशधारकों का यह सवाल गूंज रहा है कि "आखिर करोड़ों के प्रॉफिट में रहने वाली हमारी बैंक अचानक संचित हानि में कैसे चली गई?"

सिस्टम से लड़ते-लड़ते थक चुका हैं सहकार नेतृत्व

इस बकाया राशि के आवंटन को लेकर सहकार नेतृत्वकर्ताओं का संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। पिछले आठ वर्षों में वित्त विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय और नाबार्ड जैसे शीर्ष संस्थानों को एक हजार से अधिक ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। इसके बावजूद वित्त विभाग की लंबी फेहरिस्त और जटिल प्रक्रियाओं के चलते बैंकों को राहत नहीं मिल पाई है। सहकारिता से जुड़े युनियन नेतृत्व अब सिस्टम से लड़ते-लड़ते थक चुके हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि यदि समय रहते ऋण माफी और ब्याज अनुदान की बकाया राशि का आवंटन नहीं किया गया, तो प्रदेश का पूरा सहकार आंदोलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।

एक दशक का संघर्ष और कागजी फेहरिस्त में उलझी बकाया राशि

प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए एक दशक पहले की ऋण माफी अब जी का जंजाल बन गई है। बैंकों के पास आज भी सरकार स्तर से करोड़ों रुपये की बकाया राशि का भुगतान अटका हुआ है, जिसे पाने के लिए सहकार नेतृत्व ने मुख्यमंत्री कार्यालय, वित्त विभाग और नाबार्ड को एक हजार से अधिक ज्ञापन सौंपे हैं। लेकिन हर बार मामला वित्त विभाग की लंबी फेहरिस्त में उलझकर रह जाता है। नतीजा यह है कि कागजों में बैंक घाटे में चल रहे हैं, जिससे किसानों और पैक्स (PACS) से जुड़े सदस्यों को लाभांश का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सहकार नेतृत्व कर्ता का कहना है कि सरकार की उदासीनता के कारण प्रदेश का मजबूत होता सहकारी आंदोलन अपनी ही व्यवस्थाओं के बीच घुटने टेकने को मजबूर हो गया है।

लाभांश पर ब्रेक

इन दिनों आयोजित हो रही केंद्रीय सहकारी बैंकों की वार्षिक साधारण सभाओं में सबसे बड़ा मुद्दा लाभांश वितरण पर रोक का बना हुआ है। बैंकों के एजेंडे में जब ऋण माफी की बकाया राशि का प्रावधान किया जाता है, तो वित्तीय वर्ष का पूरा गणित बिगड़ जाता है और संचित हानि खुलकर सामने आ जाती है। कभी अपने शानदार वित्तीय कारोबार और करोड़ों के प्रॉफिट के लिए पहचानी जाने वाली सीसीबी आज वित्तीय बदहाली की मार झेल रही हैं। आमसभाओं में शेयरधारकों और सदस्यों द्वारा यही सवाल बार-बार उठाया जा रहा है कि आखिर सरकार सीसीबी को ऋण माफी और ब्याज दर की बकाया राशि कब तक जारी करेगी, ताकि बैंकों की वित्तीय स्थिति फिर से पटरी पर लौट सके।

वित्तीय बदहाली से जूझ रही स्वायत्त सहकारी संस्थाओं पर मेले के नाम पर थोपा गया करोड़ों का बोझ

सहकार मसाला मेला : 5.50 करोड़ की बिक्री के मुकाबले संस्थाओं से लिया 6.62 करोड़ का अंशदान

CAG से ऑडिट की मांग
कॉनफैड के 'उपहार कोष' की स्पेशल ऑडिट की मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड द्वारा जवाहर कला केन्द्र में चार माह पूर्व आयोजित दस दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026 का भले ही रिकॉर्ड 5.50 करोड़ की बिक्री के दावों के साथ समापन हो गया हो, लेकिन इस जगमगाहट के पीछे प्रदेश की स्वायत्त सहकारी संस्थाओं की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। विभाग द्वारा जहां 160 स्टॉल्स, जेनेरिक मेडिसिन, श्री अन्न उत्पादों और रिकॉर्ड बिक्री के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सहकारिता जगत में इस बात को लेकर भारी रोष है कि इस तरह के आयोजन का आर्थिक बोझ गंभीर संचित हानि से जूझ रही संस्थाओं की जेब से निकाला जा रहा है। विभागीय स्तर पर मेले को सफल बताने के दावे किए जा रहे हैं, परंतु सच्चाई यह है कि प्रदेश की अधिकांश क्रय-विक्रय सहकारी समितियां (केवीएसएस), केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक संस्थाएं भारी वित्तीय बदहाली और अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। इसके बावजूद स्वायत्तता की अनदेखी करते हुए रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले के नाम पर प्रदेश की कुल 5,668 सहकारी संस्थाओं से कॉनफैड के उपहार कोष में कुल 6,62,85,000 (छह करोड़ बासठ लाख पचासी हजार रुपए) की अनिवार्य अंशदान राशि जमा कराने के फरमान जारी किए गए। मजे की बात यह है कि मेले में कुल बिक्री से भी अधिक राशि तो प्रदेश की कमजोर संस्थाओं से अनिवार्य अंशदान के रूप में ऐंठ ली गई है। सहकारी जगत के सूत्रों ने पूरे प्रकरण की शिकायत देश के महानियंत्रक और महालेखाकार को पत्र भेजकर की है। पत्र में मांग उठाई गई है कि मेलों के आयोजन की आड़ में कॉनफैड के उपहार कोष में एकत्रित की जा रही करोड़ों की राशि और उसके उपयोग की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच (स्पेशल ऑडिट) कराई जाए।

कॉनफैड के 'उपहार कोष' में देय-राशि

संस्था	निर्धारित राशि	कुल संख्या	कुल वसूल राशि (रुपए)
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक)	200,000	1	200,000
राजफैड	200,000	1	200,000
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक	100,000	1	100,000
इफको	300,000	1	300,000
कृभको	300,000	1	300,000
ट्राईफैड	100,000	1	100,000
आर.सी.डी.एफ.	200,000	1	200,000
उपभोक्ता संघ	200,000	1	200,000
सहकारी मुद्रणालय	100,000	1	100,000
तिलम् संघ	50,000	1	50,000
बुनकर संघ	50,000	1	50,000
केन्द्रीय सहकारी बैंक	50,000	29	1,450,000
जिला प्राथमिक भूमि विकास बैंक	25,000	36	900,000
जिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक (सामान्य)	50,000	35	1,750,000
प्रमुख अरबन बैंक	75,000	5	375,000
जिला सहकार उपभोक्ता थोक भण्डार	75,000	6	450,000
शेष उपभोक्ता होलसेल भण्डार	30,000	34	1,020,000
जिला डेयरी संघ (दुग्ध उत्पादक संघ)	50,000	24	1,200,000
क्रय विक्रय सहकारी समिति	20,000	246	4,920,000
महिला सहकारी समितियां	10,000	5242	52,420,000
Total		5668	66,285,000

राज्य में सक्रिय सहकारी समितियों का परिदृश्य

राजस्थान में सहकारिता आंदोलन ने गांवों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों और किसानों के जीवन स्तर को संवारने में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आंदोलन को गति और दिशा राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम-2001 एवं नियम-2003 के तहत मिली है। राज्य में विभिन्न प्रकार की 42,857 सहकारी समितियों से 1 करोड़ 35 लाख 62 हजार से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। इन समितियों की कुल 21,801 करोड़ रुपए से अधिक की हिस्सा पूंजी और 1,41,379 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी दर्ज है। वर्तमान प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचे के तहत शीर्ष स्तर पर 23 फेडरेशन, जिला स्तर पर 29 केंद्रीय सहकारी बैंक, 24 जिला दुग्ध उत्पादक संघ, 38 उपभोक्ता होलसेल भंडार, 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, 9,086 प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियां, 285 क्रय-विक्रय एवं फल-सब्जी समितियां तथा 5,242 महिला सहकारी समितियों सहित कुल 42,857 समितियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 25,487 सहकारी समितियां सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक हस्तक्षेप और आयोजनों के थोपे गए वित्तीय लक्ष्यों के कारण इनका मूल लोकतांत्रिक स्वरूप और कार्य-परिदृश्य प्रभावित हो रहा है।

पैक्स समितियों पर भारी पड़ता वेतन का 'भार'

प्रदेश के ग्रामीण अंचल में सहकारी आंदोलन की धुरी मानी जाने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) पर आज आर्थिक संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। राज्य की पैक्स समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों के वेतन व पारिश्रमिक पर हर साल 91.43 करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम वित्तीय भार आ रहा है। चिंताजनक बात यह नहीं कि कर्मचारियों को पारिश्रमिक मिल रहा है, बल्कि यक्ष प्रश्न यह है कि इस पूरी राशि का भुगतान बिना किसी सरकारी अनुदान या बजटीय सहायता के सीधे समितियों के लाभ-हानि (P&L) खाते से किया जा रहा है। पैक्स समितियाँ केवल वित्तीय लेन-देन का केंद्र नहीं, बल्कि किसान के खेत से लेकर उसके खलिहान तक की जरूरतों को पूरा करने वाली प्राथमिक कड़ी हैं। राज्य में 3,794 व्यवस्थापक और 4,080 सहायक व्यवस्थापक रात-दिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में जुटे हैं। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और टोंक जैसे जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंकों के अधीन आने वाली समितियों पर तो यह भार करोड़ों रुपये में है। उदाहरण के लिए, अकेले श्रीगंगानगर में व्यवस्थापकों और सहायकों के वेतन का वार्षिक आंकड़ा 6.43 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। जब सीमित संसाधनों और कम मार्जिन पर काम करने वाली छोटी समितियों के लाभ-हानि खाते पर ही इतने बड़े प्रशासनिक खर्च का बोझ डाल दिया जाएगा, तो उनका घाटे में डूबना तय है। सहकारी व्यवस्था की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार नीतियां और योजनाएं तो जमीनी स्तर पर पैक्स के माध्यम से लागू करवाती है, लेकिन उनके तंत्र को संभालने वाले कर्मियों के स्थायी वेतन प्रबंधन से मुंह मोड़ लेती है। यदि समितियों की वित्तीय स्थिति ही चरमरा जाएगी, तो ग्रामीण साख व्यवस्था कैसे सुरक्षित रह पाएगी? समय रहते इस समस्या का ठोस और स्थायी समाधान निकालना आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वह पैक्स समितियों के वेतन भार के लिए एक निश्चित कॉरपस फंड या सरकारी अनुदान की व्यवस्था करे। इसके साथ ही पैक्स को केवल ऋण बांटने तक सीमित न रखकर उन्हें बहुउद्देशीय व्यावसायिक इकाइयों के रूप में विकसित किया जाए, ताकि उनकी अपनी आय में वृद्धि हो सके। यदि सहकार की रीढ़ कही जाने वाली इन प्राथमिक संस्थाओं को जल्द ही सरकारी संबल नहीं मिला, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का यह मजबूत ढांचा चरमरा जाएगा।

कृषक स्वावलंबन, वैधानिक अधिकार और अंश-पूंजी के प्रत्यावर्तन का दार्शनिक एवं व्यावहारिक अनुशीलन

-प्रकाश वैष्णव
लेखक स्तंभकार, संपादक एवं सहकार चिंतक हैं।

> सहकारी समितियों से सदस्यता समाप्त होने या त्यागपत्र देने पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत किसान बकाया ऋण चुकाकर, हिस्सा प्रमाण पत्र जमा कर अपनी अंश पूंजी व लाभांश पारदर्शिता से वापस प्राप्त कर सकते हैं।

सहकारिता का ताना-बाना वस्तुतः सह-अस्तित्व, स्वावलंबन और परस्पर आर्थिक संवर्धन के उन सनातन जीवन-मूल्यों पर आधृत है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। राजस्थान के कृषि परिदृश्य में सहकारिता विभाग तथा उससे संबद्ध प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों और केंद्रीय सहकारी बैंकों की भूमिका मात्र एक वित्तीय मध्यस्थ की न होकर, कृषक समुदाय के आर्थिक अधिकारों की संवाहिका के रूप में दृष्टिगोचर होती है। प्रायः यह भ्रांति व्याप्त रहती है कि सहकारी तंत्र में समाविष्ट कृषकों की पूंजी एक बार विनियोजित हो जाने के पश्चात दुर्गम प्रशासनिक जटिलताओं के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाती है, परंतु यथार्थ इसके सर्वथा विपरीत है। सहकारिता का वैधानिक ढांचा इस बात का सशक्त आख्यान प्रस्तुत करता है कि कृषक द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई से जमा की गई अंश पूंजी न केवल सुरक्षित है, अपितु सदस्यता के अवसान अथवा स्वेच्छा से पृथकीकरण की दशा में पूर्णतः प्रत्यावर्तनीय भी है। यह केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था मात्र नहीं, अपितु अन्नदाता के प्रति संस्थागत निष्ठा और उत्तरदायित्व की एक अनुकरणीय मिसाल है।

विधायी दृष्टिकोण से यदि अनुशीलन किया जाए तो राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 16 (1) तथा संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंकों के पंजीकृत उपनियम इस संपूर्ण व्यवस्था को एक दृढ वैधानिक आधारशिला प्रदान करते हैं। जब भी कोई कृषक सदस्य किन्हीं अपरिहार्य कारणों, स्वेच्छाचारी त्यागपत्र अथवा अयोग्यता के आधार पर संस्था की सदस्यता से पृथक होता है, अथवा दुर्भाग्यवश उसका असामयिक निधन हो जाता है, तो उसकी जमा की गई हिस्सा राशि की सुरक्षा और वापसी का सुस्पष्ट कानूनी प्रावधान अस्तित्व में आता है। सहकारी संस्थाएं अपने पास उपलब्ध द्रवता और सुदृढ़ वित्तीय तंत्र का उपयोग करते हुए सदस्य अथवा उसके वैध उत्तराधिकारियों को यह राशि लौटाने के लिए पूर्णतया सशक्त एवं बाध्य हैं। यह प्रक्रिया इस बात को रेखांकित करती है कि सहकारिता के सिद्धांत केवल कागजी दस्तावेजों या आदर्शवादी उद्घोषणों तक सीमित नहीं हैं, वरन वे धरातल पर क्रियान्वित होकर कृषकों के अधिकारों का निष्ठापूर्वक संरक्षण करते हैं। तथापि, इस प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया का एक अन्य महत्वपूर्ण और सैद्धांतिक पहलू वित्तीय अनुशासन एवं परस्पर दायित्व बोध से सम्बद्ध है। किसी भी वित्तीय संस्था की संप्रभुता और साख इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता और दायित्वों का सम्यक निर्वहन हो। अतः अंश पूंजी तथा उस पर अर्जित लाभांश के निष्कासन से पूर्व यह अनिवार्य शर्त निर्धारित की गई है कि संबंधित कृषक या उसके विधिक वारिसों द्वारा संस्था के प्रति अपने समस्त बकाया ऋणों एवं वित्तीय देनदारियों का पूर्ण चुकता कर दिया गया हो। हिस्सा प्रमाण पत्र के अभर्पण के साथ ही लाभांश सहित संपूर्ण अंश पूंजी का पारदर्शी निस्तारण कर दिया जाता है। ऋणों का निस्तारण केवल एक औपचारिक बाध्यता नहीं है, अपितु यह सहकारी बैंकों के चक्रानुक्रम को निर्बाध बनाए रखने की एक महती आवश्यकता है, जिससे संपूर्ण ग्रामीण साख व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहती है। संक्षेप में, यह संपूर्ण व्यवस्था ग्रामीण आंचल के कृषकों के लिए एक अत्यंत संबलकारी और आश्वस्त करने वाला वित्तीय कवच प्रदान करती है। सहकारिता के इस संरचनात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से न केवल किसानों में संस्थागत साख के प्रति प्रगाढ़ विश्वास का संचार होता है, बल्कि यह व्यवस्था राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में शुचिता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता को भी प्रतिस्थापित करती है। अन्नदाता को उसकी गाढ़ी कमाई का न्यायसंगत और वैधानिक अधिकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लौटाना ही सहकारिता की उस मूल भावना को चरितार्थ करता है, जिसका उद्देश्य अन्त्योदय और सामूहिक समृद्धि है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

धनाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति की आम सभा सपन्न

वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन, अर्जित किया 2.51 लाख रुपये का शुद्ध लाभ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर | सीमावर्ती क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की सबसे छोटी और मजबूत इकाई के रूप में पहचान बना चुकी धनाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की कार्यप्रणाली एक बार फिर मील का पत्थर साबित हुई है। समिति का वित्तीय वर्ष 2025-26 का कार्यकाल बेहद सफल रहा, जिसमें संस्था ने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए 2,51,021.67 (दो लाख इक्यावन हजार इक्कीस रुपये और सड़सठ पैसे)रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। समिति के इस वित्तीय उत्थान और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर आयोजित वार्षिक साधारण आमसभा में विस्तार से चर्चा की गई।समिति की आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत दिवंगत संचालक मंडल सदस्य लिखमाराम गोरा को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद, अध्यक्ष मगाराम चौधरी और व्यवस्थापक दोलाराम मंडा ने सदन के समक्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, लाभ-हानि खाता और व्यापारिक विवरण प्रस्तुत किए। वित्तीय वर्ष के दौरान खाद बिक्री (लगभग 2.32 करोड़ रुपये) और मियादी तथा अन्य खातों से प्राप्त ब्याज के जरिए समिति की वित्तीय स्थिति बेहद सुदृढ़ नजर आई।आमसभा के दौरान किसानों को रासायनिक खादों (यूरिया व डीएपी) के संतुलित उपयोग के साथ-साथ नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को अपनाने की विशेष सलाह दी गई। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लेखा परीक्षक (ऑडिटर) की नियुक्ति और ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों की पूर्ति पर मुहर लगाई गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष मगाराम चौधरी, उपाध्यक्ष सुमारखान हालेपोत्रा, मांगीलाल जैन, भेराराम मूंड, सह व्यवस्थापक गेनाराम पूनियां, तेजाराम भांभू, एलडीसी गोगासिंह, कुंभाराम मेघवाल, शंभूराम भील, भागो बाई, केसाराम शर्मा सहित बड़ी संख्या में संचालक मंडल के सदस्य एवं क्षेत्र के किसान मौजूद रहे।

सीमावर्ती क्षेत्र में सहकारिता की सबसे मजबूत इकाई धनाऊ पैक्स: अतीत, वर्तमान और सराहनीय प्रयास

थार के मरुस्थल और विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरे बाड़मेर जिले के धनाऊ क्षेत्र में धनाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति सहकार आंदोलन की रीढ़ बन चुकी है। कभी सीमित संसाधनों के सहारे चलने वाली यह संस्था आज अपने सुदृढ़ प्रबंधन, पारदर्शिता और किसानों के प्रति समर्पण भाव के कारण क्षेत्र की सबसे मजबूत और अनुकरणीय इकाई के रूप में उभरी है।अतीत के संघर्षों से निकलकर वर्तमान कार्य-परिदृश्य तक का सफर तय करने वाली इस पैक्स ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह साबित कर दिया है कि सही दिशा में उठाए गए कदम किस तरह संस्था को मुनाफे में ला सकते हैं। व्यापारिक खातों और संतुलन चित्र (बैलेंस शीट) के अनुसार, समिति ने न केवल खाद और कृषि उपकरणों का उचित प्रबंधन किया, बल्कि मिनी बैंक के माध्यम से सदस्यों को समय पर ऋण और अमानतों का लाभ भी दिया।समिति का यह सफर केवल वित्तीय आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने, इफको किसान सभा के जरिए कृषि गोष्ठियां आयोजित करने और उर्वरकों के उचित उपयोग का संदेश देने का एक सराहनीय प्रयास है। धनाऊ पैक्स का यह सकारात्मक मॉडल अन्य सहकारी समितियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रहा है, जो यह दर्शाता है कि ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने में पैक्स की भूमिका सबसे अहम है।

दिवंगत व्यवस्थापक पहाड़सिंह सोलंकी के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है हाड़ेतर ग्राम सेवा सहकारी समिति की सफलता

सफलता की कहानी....

सहकारिता की राह पर बुलंदियों छूती हाड़ेतर पैक्स

आर्थिक सुदृढ़ता और पारदर्शी सेवाओं की अनूठी दास्तान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

59,722 का लाभ कमाकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में हाड़ेतर पैक्स ने दिखाई आर्थिक मजबूती

1,16,497.50 रुपये का दर्ज हुआ खाद, बीज और आवश्यक सामग्री का अंतिम स्टॉक मूल्य

125 बोरी यूरिया व बजरा बीज का वितरण कर किसानों की जरूरतों को किया पूरा

सांचौर उपखंड क्षेत्र की प्रतिष्ठित हाड़ेतर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ने सहकारिता के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। सहकार आंदोलन के त्रिस्तरीय ढांचे और जालोर जिले के समृद्ध सहकारी इतिहास की साक्ष्य यह समिति अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली और भरोसेमंद सेवाओं के बल पर लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समिति ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सकल लाभ के रूप में 59,722 रुपये अर्जित किए हैं, जो इसकी वित्तीय प्रबंधन क्षमता को भली-भांति रेखांकित करता है। इसके साथ ही, समिति ने किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद,बीज और अन्य जरूरी सामग्री का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया है, जिसमें यूरिया बाजरा बीज और लेवी चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, जिनका कुल अंतिम स्टॉक मूल्य 1,16,497.50 रुपये दर्ज किया गया है। समिति की इस शानदार उपलब्धि और ऐतिहासिक सफलता का श्रेय दिवंगत व्यवस्थापक पहाड़सिंह सौलंकी के कुशल मार्गदर्शन और उनके कार्यकाल में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को जाता है, जिन्होंने इस संस्था को सफलता के शिखर तक पहुँचाने में अपना अहम योगदान दिया। वर्तमान में मेढ़ा जागीर पैक्स और प्रतापपुरा पैक्स के गठन तथा हाड़ेतर समिति के कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव आने और बड़सम गाँव के अन्यत्र जाने के बावजूद, समिति अपनी सीमित भौगोलिक परिधि के भीतर भी पूर्ण आर्थिक सुदृढ़ता और आत्मनिर्भरता का परिचय दे रही है। किसानों को समय पर अल्पकालीन फसल ऋण और अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में यह संस्था हमेशा अग्रणी रही है। समिति की इन तमाम उपलब्धियों के पीछे सहकारिता के प्रति निष्ठा और मजबूत कार्य संस्कृति मुख्य आधार रही है।

अमानत वृद्धि में पाया जिला स्तरीय सम्मान

सहकारिता के बदलते दौर और डिजिटल क्रांति के इस युग में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति (मिनी बैंक) हाड़ेतर ने तकनीकी एवं वित्तीय रूप से खुद को मजबूत करते हुए एक नया मुकाम हासिल किया है। जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा के दौरान समिति को प्रमुख उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कुल 55.88 लाख रुपये की जमा अमानतों के साथ अमानत वृद्धि में सराहनीय प्रदर्शन कर जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर समिति के अध्यक्षसवाराम चौधरी एवं व्यवस्थापक दशरथ कुमार पुरोहित को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान तथा प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सौंपा गया।

त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा और स्वर्णिम इतिहास

जालोर जिले में सहकारिता आंदोलन का त्रिस्तरीय ढांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शुरुआती दौर से ही इस अंचल में सहकारी संस्थाओं ने किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्त कराकर उन्हें आसान शर्तों पर ब्याजमुक्त व अल्पकालीन फसली ऋण मुहैया कराने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। हाड़ेतर समिति ने इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए किसानों के भरोसे को हमेशा सर्वोपरि रखा है। हालांकि समय के साथ नए पैक्स के गठन से कार्यक्षेत्र का दायरा सीमित जरूर हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर और मजबूत आधारीय संरचना के बूते यह समिति आज भी ग्रामीण विकास और सहकारिता के प्रसार में मील का पत्थर साबित हो रही है

बीजापुर पैक्स की आम सभा संपन्न

पाली जिले के बाली पंचायत समिति क्षेत्र की बीजापुर ग्राम सेवा सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई।पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत समिति अब आधिकारिक रूप से 'ई-पैक्स' घोषित हो चुकी है, जिससे ग्रामीण सहकारिता में डिजिटल पारदर्शिता का नया दौर शुरू हुआ है। सभा में प्रस्तुत वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, समिति ने ₹5 लाख का शुद्ध लाभ कमाया है, जिससे संचित लाभ बढ़कर ₹19 लाख हो गया। इसके अलावा, खाद और उर्वरकों की बिक्री से ₹43 लाख से अधिक का टर्नओवर दर्ज किया गया। मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक सुरेश कुमार दहिया ने आगामी वित्तीय बजट और ऋण योजनाओं का ब्योरा दिया। कार्यक्रम का समापन सहकारिता को और मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ।

सहकारिता विभाग की अकर्मण्य कार्यशैली और समझौतों से मुकरने की प्रवृत्ति से पैक्स-लैम्पस कार्मिक आहत

15 अक्टूबर तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, राजस्थान में सहकारी आंदोलन और ग्राम्य आंचल की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) के व्यवस्थापक एवं कार्मिक लंबे समय से प्रशासनिक उपेक्षा और आर्थिक संत्रास के भंवर में जीने को विवश हैं। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश के कार्मिकों ने सहकारिता मंत्री को अंतिम नीतिगत परिवेदना प्रेषित करते हुए विभाग की तीन दशक पुरानी अकर्मण्य कार्यशैली और समझौतों से मुकरने की प्रवृत्ति पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। सहकारी ढांचे के त्रिस्तरीय तंत्र के अंतिम छोर पर खड़े ये कार्मिक आज भी अपनी माहवारी वेतन और सेवा नियमों जैसी मूलभूत मांगों के लिए संघर्षरत हैं। स्थिति यह है कि प्रदेश की पचास प्रतिशत से अधिक पैक्स-लैम्पस संस्थाएं व्यवस्थापक जैसे महत्वपूर्ण पदों के बिना रीढ़हीन रूप से संचालित हो रही हैं। एक तरफ जहां सीमित संस्थागत स्थायित्व और शून्य आर्थिक सक्षमता है, वहीं दूसरी तरफ इन संस्थानों पर केंद्रीय सहकारी बैंकों के ऋण पर्यवेक्षक के जटिल दायित्वों का बोझ लाद दिया गया है। इसके अलावा फसली ऋणों के वितरण, पैक्स कंप्यूटराइजेशन और अन्य तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं का सफल निष्पादन दिन-रात बिना वेतन के करवाया जा रहा है। संघर्ष समिति के संयोजकों ने बताया कि गत 06 अक्टूबर 2025 को हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं में कैडर अथॉरिटी के गठन, नियमितीकरण, बैंकिंग सहायक भर्ती, बैंक ऋण पर्यवेक्षक पद पर चयन और नाबार्ड की नवीन एच.आर. पॉलिसी जैसे बिंदुओं पर ठोस सहमति बनी थी। परंतु एक वर्ष (350 से अधिक दिन) बीत जाने के बाद भी एक इंच प्रगति न होना यह साबित करता है कि विभागीय संस्कृति समझौतों से मुकरने की आदी हो चुकी है। कर्मचारियों यूनियन नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 15 अक्टूबर 2026 तक सभी लंबित मांगों के संबंध में ठोस और स्पष्ट नीतिगत आदेश जारी नहीं किए गए, तो प्रदेशभर के पैक्स-लैम्पस कार्मिक पूर्णतः कार्य बहिष्कार एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल का कठोर मार्ग अपनाने के लिए बाध्य होंगे। इस आंदोलन और अन्नदाताओं को मिलने वाले फसली ऋणों में आने वाली बाधाओं की समस्त नैतिक व प्रशासनिक जिम्मेदारी शासन और सहकारिता विभाग की होगी।

राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को मिला गौरव, मैदानी प्रहारी झेल रहे हैं वेतनविहीन जीवन

देश में सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली में आयोजित देशव्यापी समारोह में राजस्थान को 'सहकारिता की नवीन पहलों को धरातल पर उतारने का प्रथम राष्ट्रीय गौरव' प्राप्त हुआ है। इस बड़ी उपलब्धि का पूरा श्रेय मैदानी मोर्चे पर पसीना बहाने वाले पैक्स-लैम्पस कर्मियों की रणनीतिक कार्यशैली को जाता है। विडंबना यह है कि जिन कर्मठ प्रहरियों के बलबूते पर यह राष्ट्रीय खिताब राज्य को मिला, उन्हीं कार्मिकों को महीनों तक आर्थिक संत्रास और वेतनविहीन जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। बिना वेतन के दिन-रात कार्य करने वाले ये व्यवस्थापक आज भी अपनी माहवारी पगार के लिए तरस रहे हैं, जिससे प्रशासनिक संवेदनहीनता स्पष्ट रूप से उजागर होती है।

350 दिनों बाद भी एक इंच प्रगति नहीं, समझौते से मुकरने का आरोप

15 अक्टूबर तक मांगें पूरी नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

50% से अधिक पैक्स-लैम्पस संस्थाएं बिना व्यवस्थापक के चलने को मजबूर

6 अक्टूबर 2025 को कैडर अथॉरिटी और स्क्रीनिंग पर ठोस सहमति बनने के बाद भी वादाखिलाफी

अधिकारियों पर लगाया विश्वास कुचलने का आरोप

पैक्स-लैम्पस के कार्मिकों का कहना है कि वे जनता द्वारा निर्वाचित एक ऐसे उच्च कोटि के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, जिनके वचनों की पवित्रता और दिए गए आश्वासन सर्वोपरि हैं। पूर्व में सहकार और रोजगार उत्सव के दौरान जयपुर की सड़कों पर भारी बारिश के बावजूद उमड़ा विराट जन सैलाब मंत्री महोदय के एक इशारे पर अपनी शक्ति झोंकने को तत्पर था। परंतु, जब विभाग के अधिकारी ही मंत्री की प्रतिष्ठा और कार्मिकों के विश्वास को कुचलते हुए नजर आते हैं, तो व्यवस्था के प्रति गहरा क्षोभ उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कार्मिकों को अब केवल सहकारिता मंत्री के यशस्वी और भरोसेमंद वचनों से ही न्याय की आस है।

हार्दिक बधाई / शुभकामनाएँ

श्री जोगाराम माली (अध्यक्ष) एवं श्री दीपक कुमार जोशी (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति चितलवाना को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2025-26 के दौरान
अल्पकालीन फसली ऋणों की मांग के विरुद्ध 97.60% वसूली (671.16 लाख)
के साथ सराहनीय कार्य कर चितलवाना शाखा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर
जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान
कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
चितलवाना बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

हार्दिक बधाई / शुभकामनाएँ

श्री खुशीरसिंह (अध्यक्ष) एवं श्री तलकाराम (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति चांदुर को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2025-26 के दौरान
अल्पकालीन फसली ऋणों की मांग के विरुद्ध 96.57% वसूली (690.18 लाख)
के साथ सराहनीय कार्य कर जसवंतपुरा शाखा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर
जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान
कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
चांदुर बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. चांदुर

हार्दिक बधाई / शुभकामनाएँ

श्रीमती लक्ष्मी कंवर (अध्यक्ष) एवं श्री सुरेश कुमार (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति भूति को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में जिले में "सहकार से समृद्धि" की भावना को चरितार्थ करने तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अभूतपूर्व नवाचार MSP (समर्थन मूल्य पर खरीद) केंद्र, कस्टम हायरिंग केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर एवं किसानों को राजस्थान राज्य बीज निगम, सुमेरपुर के माध्यम से रियायती दरों पर बीज उपलब्ध करवाना एवं सराहनीय कार्य करने पर
जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान
कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
भूति बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. भूति

हार्दिक बधाई / शुभकामनाएँ

श्री गुमानाराम विश्नोई (अध्यक्ष) एवं श्री मांगीलाल विश्नोई (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति अरणाय को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2025-26 के दौरान
अल्पकालीन फसली ऋणों की मांग के विरुद्ध 93.02% वसूली (578.92 लाख)
के साथ सराहनीय कार्य कर अरणाय शाखा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर
जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान
कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
अरणाय बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. अरणाय

डबाणी ग्राम सेवा सहकारी समिति की आम सभा आयोजित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही, जिले के डबाणी में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की 62वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन बिलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्र के चहुंमुखी विकास और किसानों तथा युवाओं के कल्याण को केंद्र में रखते हुए कई दूरदर्शी प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सुल्तान सिंह डाक और उपाध्यक्ष पृथ्वी राज सिंह देवड़ा ने संयुक्त रूप से की। बैठक का मुख्य आकर्षण ग्रामीण प्रतिभाओं को डिजिटल युग से जोड़ना रहा। समिति ने क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और उन्नत डिजिटल कौशल से लैस करने के लिए एक आधुनिक लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर की स्थापना का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। इसके अलावा, अन्नदाताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से रियायती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए शेड निर्माण और अन्य आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई। सभा के दौरान अध्यक्ष सुल्तान सिंह डाक ने संस्था के प्रगति प्रतिवेदन को रखते हुए भविष्य की कार्ययोजनाओं की रूपरेखा साझा की। वहीं, सिरोही सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक विक्रम सिंह ने पिछली आम सभा के विवरण का पठन किया और संस्था के समस्त लेखा-जोखा व आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया। पूर्व सरपंच एवं समाजसेवी ठाकुर साहब गणपत सिंह ने समिति की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बकाया ऋण वसूली में तेजी लाने और अमानत राशि में वृद्धि कर आय बढ़ाने पर अपने बहुमूल्य विचार रखे।इस आयोजन में सेलवाडा, छापोल, डबाणी, धान्धपुर, थल, डाक, धानेरा और विष्णुपुरा सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, समिति के संचालक मंडल के सदस्य एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अंत में उपाध्यक्ष पृथ्वी राज सिंह देवड़ा ने उपस्थित सभी नागरिकों और कृषकों का आभार व्यक्त किया।

हार्दिक बधाई / शुभकामनाएँ

श्री भरत सिंह (व्यवस्थापक) बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति बैरठ को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2025-26 के दौरान
अल्पकालीन फसली ऋणों की मांग के विरुद्ध 98.06% वसूली (470.30 लाख)
के साथ सराहनीय कार्य कर सायला शाखा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर
जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान
कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
बैरठ बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. बैरठ

हार्दिक बधाई / शुभकामनाएँ

श्री आंबाराम चौधरी (अध्यक्ष) एवं श्री पूनमा राम देवासी (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति जैलातरा को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2025-26 के दौरान
अल्पकालीन फसली ऋणों की मांग के विरुद्ध 95.48% वसूली (270.24 लाख)
के साथ सराहनीय कार्य कर अरणाय शाखा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर
जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान
कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
जैलातरा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. जैलातरा

पैक्स में रिक्त पदों को भरकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में अनुत्पादक परिसंपत्तियों और पूंजी पर्याप्तता अनुपात सुधार पर जोर, गोपाल क्रेडिट कार्ड व फसली ऋण वसूली की हुई निगरानी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा

जयपुर। सहकारिता क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में दृश्य-श्रव्य सम्मेलन के माध्यम से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति, ऋण वितरण और विभिन्न बजट घोषणाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने केंद्रीय सहकारी बैंकों में बढ़ते अनुत्पादक परिसंपत्तियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। अगस्त माह तक केंद्रीय सहकारी बैंकों का सकल अनुत्पादक परिसंपत्तियां बढ़कर 2,369.12 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत की सहनशील सीमा के भीतर रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए मानक, उप-मानक, संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तियों की नियमित निगरानी करने पर जोर दिया गया। बैठक में वित्तीय स्वास्थ्य के पैमाना माने जाने वाले पूंजी पर्याप्तता अनुपात की भी समीक्षा की गई। पाली, जैसलमेर, भरतपुर, बूंदी और चूरू सहित पांच केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत स्तर को अर्जित न करने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। इन बैंकों को ऋणों के अनुपात में वसूली बढ़ाने, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखने और समय पर ब्याज अनुदान दावा भेजने के उपचारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों स्तर पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वितरित ऋणों की भी समीक्षा की गई। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान वितरित ऋणों के तहत जुलाई माह तक 1,236 खाते अवधिपार श्रेणी में पाए गए, जिनकी कुल राशि 9.32 करोड़ रुपये बकाया है। शासन सचिव ने इन अवधिपार ऋणों की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने और पात्र किसानों को नए ऋण वितरित करने के निर्देश दिए हैं। फसली ऋणों की शत-प्रतिशत वसूली और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में रिक्त चल रहे पदों व प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर भी विशेष बल दिया गया। इस दौरान महत्वपूर्ण दृश्य-श्रव्य सम्मेलन बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी, शाखा प्रबंधक और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक भी जुड़े।

गोपाल क्रेडिट कार्ड और फसली ऋणों की अवधिपार बकाया वसूली पर ध्यान केंद्रित

सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वितरित किए जाने वाले ऋणों की वसूली को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। समीक्षा बैठक में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वितरित ऋणों के बकाये पर गंभीर मंथन किया गया, जिसके तहत 1,236 खातों में 932.20 लाख रुपये की राशि अवधिपार पाई गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन लंबित और अवधिपार मामलों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करें ताकि योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित न हो। इसके अलावा खरीफ और रबी सत्र के दौरान वितरित किए गए अल्पकालीन फसली ऋणों के विरुद्ध भी शत-प्रतिशत वसूली के लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों स्तर पर ऋण विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए कृषि और अकृषि ऋणों का न्यूनतम 20 प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि किसानों को राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना का पूरा लाभ मिल सके।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में रिक्त पदों और अनुत्पादक परिसंपत्तियों वृद्धि पर दो टूक

सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सुदृढ़ीकरण और बढ़ती वित्तीय चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों स्तर पर कामकाज को सुचारू चलाने के लिए रिक्त चल रहे पदों के संबंध में विभाग स्तर पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में व्यवस्थापक नहीं हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था कर कार्य प्रभावित न होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, सहकारी बैंकों में बढ़ते अनुत्पादक परिसंपत्तियों के ग्राफ को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने स्पष्ट किया कि परिसंपत्ति वर्गीकरण के सभी मानकों की नियमित निगरानी की जाए और विशेष तौर पर संदिग्ध संपत्तियों के मामलों पर पैनी नजर रखी जाए ताकि वित्तीय संस्थानों की साख और लाभप्रदता बनी रहे।

हार्दिक बधाई / शुभकामनाएँ

श्री अकाराम (अध्यक्ष) एवं श्री बीराराम (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति तेजा की बेरी को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2025-26 के दौरान
अल्पकालीन फसली ऋणों की मांग के विरुद्ध 97.97% वसूली (244.20 लाख)
के साथ सराहनीय कार्य कर शाखा मेंगलवा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर
जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान
कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. तेजा की बेरी

हार्दिक बधाई / शुभकामनाएँ

श्री गणपतसिंह बालोत (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति धानोल को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2025-26 के दौरान
अल्पकालीन फसली ऋणों की मांग के विरुद्ध 96.48% वसूली (558.63 लाख)
के साथ सराहनीय कार्य कर शाखा रानीवाड़ा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर
जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान
कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
धानोल बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. धानोल

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
MSME Reg. - UDYAM-RJ-19-0033346

#AGM : राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की 70वीं आमसभा सम्पन्न

अपेक्स बैंक को 71.14 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ, किसानों को बांटे 23,790 करोड़ के ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

आमसभा को संबोधित करते बैंक प्रशासक एवं सहकारिता शासन सचिव डॉ. समित शर्मा

जयपुर, राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर की 70वीं आमसभा बैंक प्रशासक एवं शासन सचिव, सहकारिता डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड पर आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता क्षेत्र की प्रगति, वित्तीय वर्ष के शानदार आंकड़ों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासक ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक को 71.14 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है, जो राज्य में सहकारिता के बढ़ते मजबूत कदमों को दर्शाता है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सभी मानदंडों जैसे सीआरएआर, सीआरआर और एसएलआर की पूर्ण रूप से पालना की जा रही है। वर्ष 2025-26 में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य के 31.02 लाख किसानों को 23,790.89 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य के 59,133 गोपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 479.89 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। प्रशासक डॉ. समित शर्मा ने सदस्यों को अवगत कराया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राज्य में 4 नए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक फलोदी, प्रतापगढ़, डीडवाना-कुचामन और बालोतरा स्थापित करने की घोषणा की गई है। इन बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। सहकारिता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता और जनसेवा सुनिश्चित करने के लिए 'आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम' लागू किया गया है। पैक्स के माध्यम से वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है, जिसके तहत 11.69 करोड़ के ईआरपी ट्रांजैक्शन दर्ज करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया है। इसके साथ ही, पैक्स कंप्यूटराइजेशन में ई-पैक्स घोषित करने में राजस्थान दूसरे स्थान पर है।प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूंडावत द्वारा निर्धारित कार्यसूची के अनुसार एजेंडा प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। वर्ष 2025-26 के शुद्ध लाभ में से 14.21 करोड़ रुपये का लाभांश वितरित किए जाने की स्वीकृति भी सर्वसम्मति से प्रदान की गई। बैठक के अंत में सभी उपस्थित सदस्यों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

- **तकनीक और पारदर्शिता में बढ़त:** सहकारिता विभाग में बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है। साथ ही, पैक्स कंप्यूटराइजेशन के तहत 11.69 करोड़ रुपये के ईआरपी ट्रांजेक्शन दर्ज करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य और ई-पैक्स घोषित करने में दूसरा राज्य बन गया है।
- **अल्पकालीन फसली ऋण में बढ़ोतरी:** किसानों और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले अल्पकालीन फसली ऋण की राशि बढ़कर ₹23,790.89 करोड़ हो गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में ₹23,494.26 करोड़ थी।
- **किसान लाभार्थियों की संख्या:** चालू वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य के 31.02 लाख किसानों को इस योजना के तहत ऋण वितरित किया गया (पिछले वर्ष यह संख्या 31.14 लाख किसान थी)।
- **अंशधारकों को लाभांश:** लाभ में आई मामूली कमी के बावजूद, बैंक ने सर्वसम्मति से वर्ष 2025-26 के शुद्ध लाभ में से ₹14.21 करोड़ का लाभांश वितरित करने की स्वीकृति दी है (जबकि पिछले वर्ष ₹15.64 करोड़ का लाभांश दिया गया था)।

राज्य में चार नए जिला सहकारी बैंक खोलने की तैयारी तेज, आरबीआई से अनुमति जल्द

सहकारिता क्षेत्र के विस्तार और आमजन को बैंकिंग सेवाओं से सीधे जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान में चार नए जिला सहकारी बैंक स्थापित किए जाने की घोषणा पर काम तेज हो गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा घोषित इन चार नए सीसीबी बैंकों में फलोदी, प्रतापगढ़, डीडवाना-कुचामन और बालोतरा शामिल है , बैंक प्रशासक एव सहकारिता विभाग शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इन नए बैंकों की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने से जुड़े सभी आवश्यक प्रस्ताव और सूचनाएं तीव्र गति से तैयार की जा रही हैं। इन नए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के धरातल पर उतरने से स्थानीय स्तर पर किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण अंचल के लोगों को बैंकिंग और ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में और अधिक सुगमता होगी। सहकारिता विभाग का मानना है कि इससे क्षेत्रीय विकास को तीव्र गति मिलेगी और वित्तीय समावेश का दायरा और अधिक व्यापक हो सकेगा।

हार्दिक बधाई

शुभकामनाएँ
श्री सवाराम चौधरी (अध्यक्ष) एवं श्री दशरथ पुरोहित (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति (मिनी बैंक) हाड़ेतर को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में
कुल 55.88 लाख रुपये की जमा अमानतों के साथ अमानत वृद्धि
में सराहनीय कार्य कर जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर
जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
हाड़ेतर बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. हाड़ेतर

राजस्थान में 18 जिलों में उर्वरक बिक्री की 'FFS ऐप' व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आग्रह

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में इन दिनों कृषि क्षेत्र को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई बड़े प्रयास चल रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के 18 जिलों में 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाईजर सेल' यानी एफएफएस ऐप के जरिए ऑनलाइन उर्वरक विक्रय की व्यवस्था लागू की गई थी। इस नई व्यवस्था को लेकर किसानों की तरफ से जहां कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आईं, वहीं कई तरह के व्यावहारिक सुझाव और अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए थे। इन सबके बीच सरकार का पूरा ध्यान इस समय एक अन्य महत्वपूर्ण महाअभियान पर केंद्रित है। राज्य में एक सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक एग्रीस्टेक फार्मर आईडी तैयार करने और भू-राजस्व गांवों के भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह ऑनलाइन डिजिटल रूप देने का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। कृषि विभाग के स्तर पर इस बात महसूस किया गया कि एक साथ दो बड़े तकनीकी कार्यों के संचालन से मैदानी स्तर पर काम का दबाव बढ़ रहा है। इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने भारत सरकार के डिजिटल कृषि मिशन के निदेशक को आधिकारिक पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। पत्र के माध्यम से यह आग्रह किया गया है कि एग्रीस्टेक अभियान के पूर्ण होने और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े सभी जरूरी बिंदु अद्यतन होने तक राजस्थान के उन 18 जिलों में एफएफएस व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक स्थगित रखा जाए, जहां यह हाल ही में शुरू की गई थी। सरकार के इस फैसले से फिलहाल मैदानी स्तर पर चल रहे भूमि रिकॉर्ड और फार्मर आईडी बनाने के काम में प्रशासनिक अमला पूरी तरह जुट सकेगा।

हार्दिक बधाई

शुभकामनाएँ
श्री लक्ष्मण राम पुरोहित (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति सरवाना को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2025-26 के दौरान
फसली ऋण वसूली में 91.94% वसूली (383.57 लाख) तथा
वर्ष 2024-25 में 96.63% वसूली (360.60 लाख) कर उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ
शाखा चितलवाना में द्वितीय स्थान प्राप्त में करने पर जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
श्री राणाराम अध्यक्ष एवं समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी, सरवाना बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सरवाना

सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

कॉ-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी की चार-चार साल की साधारण सभाएं हो रही हैं एक साथ....?

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। रानीवाड़ा कॉ-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड ने पिछले चार वर्षों से कोई साधारण सभा आयोजित नहीं की। अब संस्था द्वारा 30 सितंबर 2026 को अपनी 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं वार्षिक साधारण सभा का संयुक्त रूप से आयोजन किया जा रहा है। सहकारिता नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा का होना अनिवार्य है, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट, आय-व्यय और भावी योजनाओं पर चर्चा होती है। हालांकि, सहायक रजिस्ट्रार स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के तैनात होने के बावजूद यह स्थिति बनी हुई है, जो प्रशासनिक कार्यकुशलता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सभाएं लंबित रहने से वित्तीय अनियमितताओं की आशंका बढ़ती है और सदस्यों का लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होता है। इससे संस्थाएं धीरे-धीरे नौकरशाही के चंगुल में फंसकर अपनी उपयोगिता खो रही हैं।

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
श्री नरेन्द्र सिंह बालोत (अध्यक्ष) एवं
श्री भागीरथसिंह राजावत (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति पावटा को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2025-26 के दौरान
अल्पकालीन फसली ऋणों की मांग के विरुद्ध
94.54% वसूली (488.73 लाख) के साथ
आहोर शाखा में द्वितीय स्थान प्राप्त में करने पर जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
पावटा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पावटा

वार्षिक आमसभा में बैंक की वित्तीय मजबूती का लेखा-जोखा प्रस्तुत, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियां हुईं सम्मानित

जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की आमसभा सम्पन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

आमसभा को संबोधित करते जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप गावंडे
आमसभा को संबोधित करते सीसीबी प्रबंध निदेशक नारायणसिंह

1. **104.86 करोड़ रुपये पर पहुंची बैंक की कार्यशील पूंजी**
2. **4428.95 लाख रुपये दर्ज की गई बैंक की हिस्सा राशि**
3. **80,500.00 लाख रुपये रहा वर्ष 2025-26 का ऋण वितरण**

जालोर । कृषि बाहुल्य जालोर जिले में सहकारी आंदोलन लगातार नए आयाम छू रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में दी जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालोर की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक आमसभा बैंक के प्रधान कार्यालय के सभा भवन में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर एवं प्रशासक डॉ. प्रदीप गावंडे ने अपने प्रशासनिक उद्बोधन के माध्यम से बैंक के वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की प्रगति का लेखा-जोखा पेश किया, जिसने जिले के किसानों और ग्रामीण अंचल में नई उम्मीदें जगाई हैं। आमसभा के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, बैंक की वित्तीय स्थिति खासी मजबूत हुई है। बैंक की हिस्सा राशि वर्ष 2024-25 में 4,125.51 लाख रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 4,428.95 लाख रुपए तक पहुंच गई है। इसके साथ ही, सुरक्षित एवं अन्य कोष क्रमशः 12,576.15 लाख और 12,899.77 लाख रुपए दर्ज किए गए हैं। कृषि प्रधान जिले में किसानों को वित्तीय संबल प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक का ऋण वितरण वर्ष 2024-25 में 82,300.00 लाख रुपए रहा, जो वर्ष 2025-26 में 80,500.00 लाख रुपए दर्ज किया गया। हालांकि, किसानों की जागरूकता और बैंक के प्रयासों से ऋण वसूली में सुधार देखा गया है, जो क्रमशः 93.25 प्रतिशत और 89.98 प्रतिशत रही। बैंक की कार्यशील पूंजी भी 98,789.66 लाख रुपए से बढ़कर 104.86 करोड़ (1,04,860.81 लाख रुपए) पर पहुंच गई है। जिला कलेक्टर एवं प्रशासक डॉ. गावंडे ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कतिपय मामलों में रही कमियों को दूर कर विशेष प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर सभी प्रकार की वित्तीय और बैंकिंग सुविधाएं सहकारी बैंकों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को मिलनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में बैंक के प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण ने सभी सम्मानित सदस्यों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी सुभाषचंद्र जीनगर और बैंकिंग सहायक मोहित दवे ने किया। इस आयोजन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जिले में सहकारी आंदोलन किसानों के आर्थिक उत्थान का सबसे बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। बैठक में उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान, अधिशाषी अधिकारी भवानीसिंह कविया समेत बैंक के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली समितियां सम्मानित

दी जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की आमसभा सिर्फ वित्तीय आंकड़ों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें कृषि बाहुल्य जिले में ग्रामीण विकास और सहकारिता को बढ़ावा देने वाले मेहनतकश कार्यकर्ताओं और संस्थाओं का अभूतपूर्व सम्मान भी हुआ। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं राज्य सहकारिता सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नारायणसिंह चारण ने गत वार्षिक साधारण सभा (दिनांक 25.03.2025) की कार्यसूची की पुष्टि के साथ-साथ वर्ष 2024-25 और 2025-26 के वार्षिक प्रतिवेदन, संतुलन चित्र, लाभ-हानि खाते, बजट निर्धारण और ऑडिट अनुपालना का अनुमोदन सदन से कराया। समारोह के दौरान बैंक की शाखाओं के अधीन आने वाली उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान वसूली और व्यवसाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अमानत वृद्धि और ऋण वसूली में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली समितियों के अध्यक्षों को साफा पहनाकर, तथा व्यवस्थापको प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस दौरान सियाणा जीएसएस के अध्यक्ष प्रदीपसिंह देवड़ा, नौसरा जीएसएस के अध्यक्ष राजवीरसिंह देवड़ा, सहित विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे।

हार्दिक बधाई

शुभकामनाएँ
श्री आदाराम लुकडा (अध्यक्ष) एवं श्री जितेन्द्र कुमार (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति बागरा को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में
कुल 767.24 लाख रुपये की जमा अमानतों के साथ
अधिकतम अमानत वृद्धि में सराहनीय कार्य कर
जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त में करने पर जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
जागनाथ बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. बागरा

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री भंवरसिंह (अध्यक्ष) एवं श्री महावीरसिंह (व्यवस्थापक)
बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति डूंडसी को जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 65वीं एवं 66वीं वार्षिक साधारण सभा में वर्ष 2025-26 के दौरान
अल्पकालीन फसली ऋणों की मांग के विरुद्ध 63.94% वसूली (720.88 लाख)
तथा वर्ष 2024-25 की अन्य मांग में 64.95% (350.20 लाख) वसूली के साथ
जालोर मुख्य शाखा में प्रथम स्थान प्राप्त में करने पर जिला कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. प्रदीप के. गावंडे, उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान और प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
शुभेच्छु
समस्त संचालक मंडल, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी,
डूंडसी बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. डूंडसी

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित। संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी। (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक ''मारवाड़ का मित्र'' किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।